

न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी सी. आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 39/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002.

आवास फाईनेसियर्स लिमिटेड (जो पूर्व में ए. यू. हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यावसायिक कार्यालय 201-202, 2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्ववायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. शशि प्रभा पत्नी शिशुपाल सिंह, निवासी 1034, सुभाष कॉलोनी, वार्ड नम्बर 17, सीकर-332001 हाल आबाद फ्लैट नम्बर 504, पांचवी मंजिल, पट्टा नम्बर 7326, रॉयल प्राईम, वार्ड नम्बर 27, शांति नगर, देवीपुरा, जयपुर रोड़, सीकर- 332001।
2. शिशुपाल सिंह पुत्र जी. आर. चौधरी, निवासी मकान नम्बर 6, शांति नगर, डेडराज डेयरी के पीछे, देवीपुरा, सीकर- 332001।

जमानती/अप्रार्थीगण

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांक: २२ अगस्त, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री विजय सिंह तंवर द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण शशि प्रभा, शिशुपाल सिंह को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में शशि प्रभा पत्नी शिशुपाल सिंह की सम्पति जो रॉयल प्राईम, वार्ड नम्बर 27, शांति नगर, देवीपुरा, जयपुर रोड़, सीकर एक जन आवासीय फ्लैट नम्बर 504 पांचवी मंजिल पर छत रहित स्थित है जो संदीप सिंह नेहरा के नाम से जरिये विक्रय पत्र जारी हुआ है तथा जिसका नाप कारपेट क्षेत्रफल 816.50 वर्गफीट बिल्ट अप एरिया 1102.27 वर्गफीट है तथा जिसके उत्तर में दीगर सम्पदा, दक्षिण में फ्लैट नम्बर 503, पूर्व में दीगर सम्पदा, पश्चिम में फ्लैट नम्बर 501 स्थित हैं, को बंधक रखकर 17,00,000/-रूपये (अक्षरे रूपये सतरहा लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 02.05.2019

को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री बजरंग लाल बिजारणियां ने वकालतनामा पेश किया।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 02.05.2019 को रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण शशि प्रमा, शिशुपाल सिंह की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक शशि प्रमा पत्नी शिशुपाल सिंह की सम्पत्ति जो रॉयल प्राईम, वार्ड नम्बर 27, शांति नगर, देवीपुरा, जयपुर रोड़, सीकर एक जन आवासीय फ्लैट नम्बर 504 पांचवी मंजिल पर छत रहित स्थित है जो संदीप सिंह नेहरा के नाम से जरिये विक्रय पत्र जारी हुआ है तथा जिसका नाप कारपेट क्षेत्रफल 816.50 वर्गफीट बिल्ट अप एरिया 1102.27 वर्गफीट है तथा जिसके उत्तर में दीगर सम्पदा, दक्षिण में फ्लैट नम्बर 503, पूर्व में दीगर सम्पदा, पश्चिम में फ्लैट नम्बर 501 स्थित हैं, का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस इमदाद प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर, प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
6. आदेश आज दिनांक: 22 अगस्त, 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सी. आर. मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर